MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(RTI Section)

PUC is an Application/ Appeal from Bhagwat Kumar R/o Shet Pilibat (U.P.) which has been received on under the RTI Act. 2005

it

If approved we may forward

to Point no. 4 pertain to this Ministry, we may send to US(MVL)

[signature] 11/9

SO(RTI)

[signature] 11/09/17

US(RTI)

[signature] 11/9

SO(RTI)

Sh-A-M.

[signature] 12/09/17

आरटीआई विषय
समयबद्ध

सं. ए–43011/339/2017–आरटीआई
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

O/o C. R. Section (RTH)
Dairy No. 12 45 500/2017
Date 7/9/2017

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003
तारीखः 4th सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : श्री भगवत कुमार सेठ, 05–गोपाल सिंह, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश–262001 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6(3) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी को आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना से संबंधित आवेदन/प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2017 (जो आरटीआई सेल में 31.08.2017 को प्राप्त हुआ) की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। आरटीआई आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (4) एवं 5 में निहित अनुदेशों के तहत संबधित जन सूचना अधिकारी/जन प्राधिकारी आवेदक को निर्धारित समय के भीतर माँगी गई सूचना देने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. सूचना भेजते/प्रदान करते/प्रेषित करते समय आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता भी सूचित करें, ताकि आवेदक सूचना से असंतुष्ट होने पर अपील कर सके।

संलग्न यथोपरि प्रेषित

अ.कु.मंडल 04/09/2017
(ए के मण्डल)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोनः 24365053

RTI

प्रेषित :

1. श्री डी. के. पाण्डा, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव एवं सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
3. अवर सचिव एवं सीपीआईओ, आरटीआई सेल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, सफदरगंज एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110003
4. अवर सचिव एवं सीपीआईओ, आरटीआई सेल, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
5. श्री भक्तिलाल, अवर सचिव (आरटीआई), कानूनी मामलें विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
6. श्री संजीव वाधवान, अवर सचिव, (आरटीआई), कमरा नं. 753–ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
7. श्री नवनीत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी एवं सीपीआईओ, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहु निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट, 16–बी, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060
8. श्री डी0के0 मिश्रा, निदेशक (सामाजिक कल्याण), सामाजिक कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जीएलएनएस काम्प्लेक्स, फिरोजशाह कोटला, दिल्ली गेट, नई दिल्ली–110002
9. श्री रमाकान्त, संयुक्त निदेशक एवं पीआईओ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश प्रशासन, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ–226001

816

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
प्राप्त किया
07 SEP 2017
RECEIVED
Ministry of Road Transport

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेशित :

श्री भगवत कुमार सेठ, 05–गोपाल सिंह, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश–262001 :–आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2017 (जो आरटीआई सेल में 31.08.2017 को प्राप्त हुआ) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत संबंधित सीपीआईओ/जन प्राधिकारियों को अंतरित किया जा रहा है। आवेदक को इस मामले में आगे की सूचना के लिए उपर्युक्त सीपीआईओ/जन प्राधिकारियों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

Pl. put up
8/9 8/9/17 Sh. P.M. 11/09/17

सेवा में, रजि0 डाक

निदेशक / जन सूचना अधिकारी
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय–भारत सरकार
कक्ष सं0 519, 'बी' विंग, पांचवा तल, पं0 दीनदयाल अन्त्योदय भवन
सी0जी0ओ0 कॉप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

महोदय,

'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' की धारा 6(1) के अन्तर्गत वांछित सूचनाओं की प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क 10/– रू0 मात्र का पोस्टल ऑर्डर सं0 36 एफ0 671263, इस प्रार्थना पत्र के साथ आपकी सेवा में प्रेषित है। मेरे विकलांग प्रमाण पत्र दि0 28.05.1994 (छायाप्रति संलग्न, प्रपत्र सं0 01) का अवलोकन करके, निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रदान करने की कृपा कीजिए।

बिन्दु सं0 01 :– कितने प्रतिशत विकलांग व्यक्ति साधारण / सामान्य विकलांग की श्रेणी में हैं एवं कितने प्रतिशत विकलांग व्यक्ति गम्भीर विकलांग की श्रेणी में है ? कृपया सन्दर्भित विवरण की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा कीजिए।

बिन्दु सं0 02 :– किसी अचल सम्पत्ति के क्रय / अनुबन्ध / पट्टा विलेख पर, स्टाम्प एवं निबन्धन हेतु दिव्यांग को उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली NCR में मिलने वाली छूट के, नवीनतम शासनादेश एवं गजट की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिए।

बिन्दु सं0 03 :– घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में यदि 50 प्रतिशत ऑर्थोपैडिक दिव्यांग जन को किराये आदि में छूट का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित विवरण की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं0 04 :– 50 प्रतिशत ऑर्थोपैडिक दिव्यांग जन द्वारा किसी दो पहिया (स्कूटर) अथवा चार पहिया (कार) की खरीद पर, कुल कीमत अथवा विभिन्न टैक्सों में रियायत का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान की छायाप्रति, उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं0 05 :– निजी व्यवसाय करने हेतु दिव्यांग जन को कम ब्याज दर अथवा सब्सिडी पर 20 (बीस) लाख अथवा उससे अधिक राशि का ऋण दिये जाने का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए, पीलीभीत से निकटतम, सम्बन्धित संस्था का डाक पता, सम्पर्क नं0 एवं ई मेल आई0डी0 अंकित करने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं0 06 :– दिव्यांग जन के न्यायालय में लम्बित वादों के गुण–दोष के आधार पर **शीघ्र निस्तारण (expedite)** का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान / शासनादेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं0 07 :– गरीब दिव्यांग जन को इलाज के लिये यदि अनुदान / बिना ब्याज का ऋण दिये जाने का प्रावधान हो, तो कृपया सन्दर्भित प्रावधान की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

बिन्दु सं0 08 :– दिव्यांग जन हेतु यदि किसी विशेष जीवन बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान हो, तो कृपया सम्बन्धित बीमा का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये।

आपको अवगत कराना है कि 'जन सूचना अधिकार' के अन्तर्गत निजी जीवन से सम्बन्धित सूचनायें मात्र 02 दिन में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान (छायाप्रति संलग्न, प्रपत्र सं0 02) है। कृपया वांछित सूचनायें मय सन्दर्भित दस्तावेजों की छायाप्रति के, यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा कीजिये। आपकी अति कृपा होगी।

BK Seth

भगवत कुमार सेठ
05–गोपाल सिंह, पीलीभीत (उ0 प्र0)–262001

संलग्न : उपरोक्तानुसार
दिनांक : 28.08.2017

RTI Cell
MVL
31/8/17
RTI Cell
Shri RU-ji
Pl. put up
6564
31/8/17

Office of the Chief Medical Officer, Pilibhit

No. C. M. O /Handicapped/93

Dated 28/5/94

HANDICAPPED CERTIFICATE

Certificate that ~~Km./Smt.~~/Shri Bhagwat Kumar Seth

~~D/o W/o~~/S/o Shri Late Sri Swarup ...

R/o Moh. S- Capital Sagt Bazar ...

Pilibhit Distt. Pilibhit.

appeared before the undersigned for his/~~her~~ medical examination. On Examination we found that Bilateral THR (Total hip replacement) Wasting both thigh muscle

50%

This is permanant disability. Hence he/~~she~~ comes under the category of physically orthopaedically handicap person.

M. I. Black mole just below Rt nostril

Signature/Thumb Impression
Attested

Orthopaedic Surgeon	Eye Surgeon	E. N. T. Surgeon

Chief Medical Officer
Pilibhit

Reg No. 1161

Chief Medical Officer
Pilibhit

18. सूचना के लिए निवेदन—इस अधिनियम की धारा 6 को मात्र पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करना चाहता है उसको अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के समक्ष लिखित निवेदन करना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं है कि सूचना की मांग करने वाला एक व्यक्ति देश का एक नागरिक है या अथवा मामले में एक प्रत्यक्ष हित है। राज्य के मुद्दे के रूप में धारा 6 का उपबंध स्पष्ट कारण से किसी भी व्यक्ति को सूचना का अधिकार प्रदान करता है, अभिव्यक्ति के अधिकार से प्रवाहित होता है। इस आधार पर सूचना का प्रत्याख्यान कि प्रार्थी को सूचना के प्रकटन के लिए निवेदन करने का कोई हित रखने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, आधारहीन है और उसको नामंजूर कर दिया जाता है।

[[illegible] व अन्य बनाम [illegible] कुमार सिंह व अन्य, ए० आई० आर० 2009 झारखंड 19]

19. सूचना का अधिकार एवं पक्षकार का प्रत्याख्यान—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राधिकारी को या तो सूचना देने या सूचना देने का प्रत्याख्यान करने के लिए एक आधारभूत कृत्य करना पड़ता है। विरोधी पक्ष इत्यादि के पक्षकार अतिरिक्त प्रार्थना अधिनियम, 2005 के अधीन मंजूर नहीं की जा सकती है जो पक्षकारों के सारभूत अधिकारों को छीन लेती है। कभी-कभी तृतीय पक्षकार को एक पक्षकार के रूप में नहीं शामिल किया जाता है और अतएव, और अधिक सावधानी प्राधिकारी द्वारा बरती जानी चाहिए। जब कभी भी अतिरिक्त प्रार्थनाएं सूचना प्राप्त करने के लिए की जाती हैं तब वह विधि की प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना प्राधिकारी द्वारा मंजूर नहीं की जा सकेगी। विरोधी पाने का एक आदेश पारित करना मुख्य सूचना आयुक्त की अधिकारिता से पूर्णतया बाहर है।

इसलिए क्या अधिक्रमण होता है या नहीं होता है, एक विधिक प्रश्न है। इसका विनिश्चय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त ने तृतीय पक्षकार (वादी) के विरुद्ध जिसके विरुद्ध एक आदेश पारित किया है (क) यद्यपि तृतीय पक्षकार उसके समक्ष द्वितीय अपील में एक पक्षकार नहीं था; (ख) तृतीय पक्षकार को सुनने का एक अवसर प्रदान किये बिना; और (ग) भी प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील को दायर करने का अधिकार भी ग्रहण कर लेता है। अतएव, मुख्य सूचना आयुक्त का आदेश अपास्त किये जाने योग्य होगा।

[[illegible] व अन्य, ए० आई० आर० 2009 (गुजरात) 2]

7. **अनुरोधों का निपटारा**—(1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना